


को पेश होगा।


(Reader)

29.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित।
वकील वादी ने प्रकरण में उभयपक्ष के
मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण को
बिड़ों करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।
वकील वादी द्वारा उभयपक्षों के मध्य आपसी
राजीनामा होना जाहिर करते हुए बिड़ों
का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने से प्रकरण
खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरनल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे।


उपचण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा